

494/ब०आ०
9-9-96

उत्तर प्रदेश सरकार
अल्प संख्यक कल्याण एवं मुस्लिम वक्फ अंशभाग-2
संख्या: -804/52-2-720/96
लखनऊ, दिनांक, 19 अगस्त, 1996.

अधिसूचना

चूंकि वक्फ अधिनियम, 1995 (अधिनियम संख्या-43 सत्र, 1996) उत्तर प्रदेश राज्य में 1 जनवरी, 1996, को प्रवृत्त हो चुका है,

आरम्भ, अब, उक्त अधिनियम की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश में सभी जिलों के समस्त उपखण्डों के उपखण्ड मजिस्ट्रेटों को उक्त अधिनियम के प्रारम्भ के उक्त दिनांक को विद्यमान वक्फ सम्पत्तियों का सर्वेक्षण करने के प्रयोजनार्थ अपनी-अपनी अधिकारिता की सीमा के भीतर अपने तहसील वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त नियुक्त करते हैं।

 आज्ञा है,
मु० हसीम खां
सचिव,

संख्या: -804111/52-2-720/96


प्रतिलिपि, अधिसूचना के अंग्रेजी स्वान्तर की प्रति सहित संयुक्त-निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, शाब्दान, लखनऊ को सरकारी गजट के अंगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

 आज्ञा है,
मु० हसीम खां
सचिव,

संख्या: -804121/52-2-720/96

प्रतिलिपि, निम्नलिखित की सुझाव एवं आवश्यक जानकारी हेतु प्रेषित:-

- 111 सर्व कमिश्नर आर वक्फत, 824-जवाहर भवन, लखनऊ
- 121 समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 131 समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 141 समस्त परगनाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 151 निदेशक, अल्प संख्यक कल्याण विभाग, उ० प्र०, लखनऊ।
- 161 प्रधान निदेशक, उ० प्र० वक्फ विकास निगम, लखनऊ।
- 171 सचिव, शिवा सर्व मुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड, उ० प्र०, लखनऊ।
- 181 समस्त जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

 आज्ञा है,
मु० हसीम खां
सचिव,